भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1211

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

संतुलित लिंगानुपात

1211. डॉ. संघमित्रा मौर्य:
श्री जयंत सिन्हा:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और झारखंड में संतुलित लिंगानुपात सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): भारत सरकार की प्रमुख योजना बीबीबीपी योजना 22 जनवरी, 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के त्रि-मंत्रालयी प्रयास के रूप में लिंग आधारित लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकने, उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने और बालिकाओं की सुरक्षा और बालिकाओं की शिक्षा भी सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। अब, लड़कियों में कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भी भागीदार के रूप में जोड़ा गया है। शून्य-बजट विज्ञापन पर केंद्रित बहु-क्षेत्रीय पहलों और जमीनी प्रभाव वाली गतिविधियों जैसे लड़कियों के बीच खेल को बढ़ावा देना, आत्मरक्षा शिविर, लड़कियों के शौचालयों का निर्माण, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के बारे में जागरूकता और लड़कियों को कौशल प्रदान करना आदि पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित करके उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया है।इस बहु-क्षेत्रीय पहल का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोककर और उसकी रिपोर्ट करके, बालिका का जश्न मनाकर और उसकी शिक्षा और भविष्य को

प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाकर, बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। मंत्रालय ने बालिकाओं के समग्र विकास के लिए माहवार विशिष्ट विषयों के साथ जिला स्तर पर सुझाई गई अभिसरण गतिविधियों के लिए एक विषयगत कैलेंडर विकसित किया है।

प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 (पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम) भ्रूण के लिंग का पता लगाने और प्रकटीकरण के लिए प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने वाला व्यापक कानूनी ढांचा है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या होती है।

पीसीएंडपीएनडीटी अधिनियम 1994 को गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाने और आनुवंशिक असामान्यताएं या उपापचय संबंधी विकार या क्रोमोसोमल असामान्यताएं या कुछ जन्मजात कमी या जेंडर से जुड़े विकारों और लिंग निर्धारण के लिए उनके दुरुपयोग की रोकथाम के लिए जिससे कन्या भ्रूण हत्या होती है और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। ।

संतुलित लिंग अनुपात सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पीसीएंडपीएनडीटी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

- निरीक्षण के माध्यम से नियमित निगरानी
- कार्यान्वयन अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण की समीक्षा
- बालिकाओं के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाना और वकालत के उपाय करना
- लिंग चयन से संबंधित इंटरनेट पर ई-विज्ञापनों को विनियमित करने और हटाने के लिए 2016 में एक नोडल एजेंसी की स्थापना करना
- कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण में तेजी लाने के प्रयास भी किए गए हैं।

लिंग अनुपात में सुधार समाज में बेहतर लिंग संतुलन जैसे - सार्वजनिक, घरेलू और संस्थागत स्थानों में, लड़कियों की शिक्षा और कौशल विकास में निवेश में वृद्धि, लड़कियों के अधिकारों और विकल्पों में सुधार और सामाजिक-राजनीतिक स्थान और आर्थिक गतिविधियों में उनकी बढ़ती भागीदारी में योगदान करते हैं।

****